कुलपति महोदय की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की मान्यता बोर्ड की दिनांक 29 फरवरी, 2012 को 12:00 बजे सम्पन्न् बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थित:

प्रोफेसर विनय कुमार पाठक, कुलपति	अध्यक्ष
प्राफेसर आर.सी. पन्त, पूर्व कुलपति कुमाऊँ वि0वि0	सदस्य
प्रोफेसर आबसार मुस्तफा खॉ	सदस्य
प्रो0 आर.सी.मिश्र,निदेशक	सदस्य
प्रो0 एच.पी. शुक्ल,निदेशक	सदस्य
प्रो0 गोविन्द सिंह,निदेशक	सदस्य
प्रो0 जे.के.जोशी,निदेशक	सदस्य
श्री सुधीर बुड़ाकोटी, कुलसचिव	सदस्य सचिव

बैठक के आरम्भ में कुलसचिव/ सचिव मान्यता बोर्ड एवं कुलपति द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों गणों का स्वागत किया गया तथा गत बैठकों में परिषद द्वारा दिये गये मार्ग निर्देशन के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित क्षेत्रीय केन्द्रों तथा अध्ययन केन्द्रों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की प्रगति से परिषद को अवगत कराया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यसूची विचारार्थ प्रस्तुत की गयी।

प्रस्ताव संख्या 3.01 - मान्यता बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 19 फरवरी, 2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

मान्यता बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 19 फरवरी, 2011 का कार्यवृत्त, यथा परिचालित, की पुष्टि की गयी। परिषद को अवगत कराया गया कि मान्यता बोर्ड की संस्तुतियों को विद्या परिषद की अनुशंसा के उपरान्त कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिस पर कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था।

प्रस्ताव संख्या 3.02 - मान्यता बोर्ड की द्वितीय बैठक के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

परिषद द्वारा विगत बैठक के कार्यवृत्त पर की गयी कार्यवाही का अवलोकन किया गया तथा उसपर संतोष व्यक्त किया गया।

प्रस्ताव संख्या 3.03 - अध्ययन केन्द्रों के संचालन तथा तदसम्वन्धी अन्य बिन्दुओ पर विचार हेतु गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार।

प्रस्ताव के अन्तर्गत दी गयी संस्तुतियो पर समयक विचारोपरान्त निम्न अनुमोदन प्रदान किये गये :

1. अध्ययन केन्द्र को दिये जाने वाले दिशा-निर्देश, मानक एवं अन्य प्राविधान यथा प्रस्तावित स्वीकार की गयी।

2. शिक्षा केन्द्र स्थापित किये जाने की शर्ते/प्राविधान/नियम/मानक को यथा प्रस्तावित स्वीकार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि नियम/मानक/शर्ते कोलेबोरेशन के अन्तर्गत स्थापित अध्ययन केन्द्रों पर भी लागू होंगे तथा जहॉ आवश्यकता हो कार्यक्रम के अनुसार विशिष्ट व्यवस्था का विवरण एम0ओ0यू0 में इंगित किया जाय।

3. अध्ययन केन्द्रों को बन्द किये जाने के सम्बन्ध में प्रोफेसर आर.सी.मिश्र की अध्यक्षता में गठित समिति के प्रस्तावों पर विचार किया गया तथा संस्तुतियॉ यथा प्रस्तावित स्वीकार की गयी। परिष्द द्वारा अध्ययन केन्द्रों से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर समय-समय पर आंकलन हेतु कुलपति द्वारा नामित दो प्रोफेसर्स तथा कुलसचिव की समिति का गठन किया गया।

4. कोलेबोरेसन के अधीन स्थापित अध्ययन केन्द्र जो एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य करने में विफल रही है तथा बार-बार परामर्श देने के बाद भी प्रगति नही हुई है अत: उनहें बन्द करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। फलस्वरूप निम्नलिखित अध्ययन केन्द्रों को निर्धारितनिर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत बन्द किया जायेगा।

1. IL&FS
2. University 18
3. FTDC
4. Hero Mindmine
5. Café T

5. विश्वविद्यालय के नये अध्ययन केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत जिन क्षेत्रों में आवश्यक हो तथा दुर्गम एवं सीमावर्ती क्षेत्रों एवं ग्रामीण अंचलों में अध्ययन केन्द्र खोलने की प्रक्रिया आरम्भ करें ताकि शिक्षा सुविधाओं से वंछित क्षेत्रको द्वार तक पहुँचाया जा सकें। इस सन्दर्भ में विज्ञापन जारी किया जाय।

6. अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने एवं अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु विश्वविद्यालय निरीक्षण दल द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप को अनुमोदित किया गया।